यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 03/2017

देवकीनन्दन पुत्र श्री शिवनारायण जाति ब्राहमण निवासी पाडलिया तह0 मांगरोल सत्यमेव जयते

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

Web Copy - Not Official

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजित कुमार जैन

निर्णय दिनांक : 15.06.2018

दायरा दिनांक: 24.03.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071–74 में प्रहलाद, देवकीनन्दन, हरिओम, हेमराज पुत्रान शिवनारायण जानकी बेवा शिवनारायण के नाम कुल किता 10 रकबा 7.16 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। जिसमें केवल खसरा नं0 124 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 139 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 145 रकबा 1.46 है0 ही भूमि विवादग्रस्त है जो विवादित भूमि के नाम संबोधित की गई है। क्योकि वर्तमान खसरा नं0 124 का साबिक खसरा नं0 70 व खसरा नं0 139 का साबिक खसरा नं0 117/756 व खसरा नं0 145 का साबिक खसरा नं0 107 था जो भूमिया साबिक खसरा नं0 70 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 107 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 107/756 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमिया शिवनारायण पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण के नाम दर्ज थी। साबिक जमाबंदी सम्वत 2037–40 में खसरा नं0 70 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 107/756 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमियां शिवनारायण पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण की मृत्यु परान्त प्रार्थी के नाम शामलाती रूप से वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071–74 में दर्ज हुयी है। सेटलमेंट अधिकारियों ने उपरोक्त साबिक जमाबंदी में वर्णित भूमिया का मिलान क्षेत्रफल में जो नम्बर बनाये गये जिनमें रकबा कम कर दिया है जो इस प्रकार है:–

साबिक नं0	रकबा	हाल नं0	रकबा	कमी रकबा
70	2 बीघा 11 बिस्वा	124	0.36	0.11 है0 कमी

	9 बीघा 14 बिस्वा	145	1.46 है0	0.12 है0 कमी
756	1 बीघा 17 बिस्वा	139	0.23 है0	0.10 है0 कमी
3	14 बीघा 17 बिस्वा		2.05 है0	0.33 है0 कमी

अतः निवेदन है कि गत रकबे अनुसार वर्तमान रकबे में मुताबिक मद नं0 6 प्रार्थना पत्र प्रार्थी का रकबा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 24.03.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/15 दिनांक 15.06.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम पाडलिया में सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी सम्वत 2037–40 में शिवनारायण पुत्र रामगोपाल कोम ब्राहमण सा0 देह के साबिक खसरा नं0 70 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 107/756 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी जिनके मुताबिक मिलान क्षैत्रफल हाल खसरा नं0 124 रकबा 0.36 है0 खसरा नं0 145 रकबा 1.46 है0 खसरा नं0 139 रकबा 0.23 है0 बनाये गये है खसरा नं0 124 रकबा 0.36 है0 गत रकबे 2 बीघा 15 बिस्वा कि तुलना में 0.08 है0 कमी की गयी है। खसरा नं0 145 रकबा 1.46 है0 में गत रकबे 9 बीघा 14 बिस्वा की तुलना में 0.09 है0 कमी की गई है। खसरा नं0 139 रकबा 0.23 है0 में गत रकबे 1 बीघा 17 बिस्वा की तुलना में 0.06 है0 कमी की गई है। हाल खसरा नं0 124 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 145 रकबा 1.46 है0, खसरा नं0 139 रकबा 0.23 है0 के आस–पास के किसी भी खसरा नं0 में रकबा गत के मुकाबले बेशी नही पाया गया है अतः उक्त खसरा नम्बरान में रकबे में हुई कमी की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम पाडलिया की आराजी में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे 0.33 है0 की कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की वादी की आराजी के समीपस्थ स्थित किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बेशी नही पाया गया है और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पश्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प हिंगोनिया

खसरा न0 70 व